तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – /2021 सूर्यपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.09.2021	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम जयपहाड़ी पटवार हल्का जयपहाड़ी तहत तहसील झुन्झुनू के खाता संख्या 86 नया व पुराना 77 कुल किता 32 कुल रकबा 21.35 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/24 हक व हिस्सा है और अपने हक हिस्से पर काबिज है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम सुरजपाल सिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है क्योंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजातों में नाम सूर्यपाल सिंह है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जमीन खाता संख्या 86 नया कुल किता 32 कुल रकबा 21.35 है0 में प्रार्थी का नाम सुरजपाल सिंह की जगह सूर्यपाल सिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज किया जावे। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय प्रार्थना पत्र प्रति वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/धारा 136/2021/869 दिनांक 19.03.2021 को रिपोर्ट पेश की जिसको शामिल मिशल किया गया। हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपरोक्त रिकार्ड/तथ्यों के आधार पर आवेदक का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः **आदेश** आवेदक का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम जयपहाड़ी पटवार हल्का जयपहाड़ी तहत तहसील झुन्झुनू के खाता संख्या 86 नया व पुराना 77 कुल किता 32 कुल रकबा 21.35 है0 में प्रार्थी का नाम सुरजपाल सिंह पुत्र अमरसिंह की जगह सूर्यपाल सिंह पुत्र अमर सिंह शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शैलेश खैरवा) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू	